कार्यालय भू–अर्जन अधिकारी देवसर, जिला–सिंगरौली (म0प्र0)

प्रकरण क्र0 0010 /अ–82/2019–20

उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

...................आवेदक

वनाम

अतिन्द्र कुमार पिता कृष्णानन्द ब्रा0 कुल 95 नफर निवासी ग्राम–खड़ौरा, तहसील–देवसर, जिला–सिंगरौली (म0प्र0)

...................अनावेदकगण

प्रस्तावित अवार्ड

(दिनांक 09/7/20)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिये, बी0.जी. रेल लाइन बाबत्, नई बड़ी रेल लाइन निर्माण हेतु उपखण्ड देवसर, जिला–सिंगरौली के ग्राम–वरिगवां की निजी भूमि का रकवा 15.215 हे0 का भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव प्राप्त होने पर उक्त निजी भूमियों के भू–अर्जन की वैधानिक कार्यवाही भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई। प्रकरण विचारण के पूर्व आवेदक उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर ने अपने कार्यालयीन पत्र क्र0 डिपटी/डी.ओ. /327/612/V जबलपुर दिनांक 31/08/2017 के द्वारा कलेक्टर महोदय को जिला सिंगरौली अन्तर्गत अर्जन से प्रभावित ग्रामों की भूमियों के क्रय

विक्रय/बटनवारा, पुल्ली फाट तथा डायवर्सन की कार्यवाही पर रोक लगाये जाने बाबत् लेख किया गया, कलेक्टर महोदय के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 354/भू-अर्जन/2017 दिनांक 15/09/2017 से अर्जन से प्रभावित ग्रामों की भूमियों के भूमिस्वामी स्वत्वों के अंतरण एवं नामांतरण पर रोक लगाई गई।

2/- उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिये, बी0.जी. रेल लाइन बाबत्, नई बड़ी रेल लाइन निर्माण से प्रभावित होने वाली निजी भूमियों के कृषको की निजी भूमियों के अर्जन हेतु प्रारम्भिक प्रस्ताव का परीक्षण तहसीलदार देवसर एवं उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर से संयुक्त रूप से कराया गया। तद्उपरान्त उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर के द्वारा अपने पत्र क्र0 डिप्टी/डीओ/327/612/V दिनांक 30/11/2017 के द्वारा अनुमानित मूल्यांकित राशि की जानकारी उपलब्ध कराई गई, जिस पर कलेक्टर महोदय सिंगरौली द्वारा अपने कार्यालयीन पत्र क्र0 541/भू-अर्जन/2017 दिनांक 15/12/2017 के द्वारा ग्राम-वरिगवां की अर्जित की जाने वाली निजी भूमियों की अनुमानित राशि 208301099/- रू0 व 10 प्रतिशत प्रशासकीय व्यय की राशि आवेदक को अग्रिम के रूप में कलेक्टर एवं जिला-भू-अर्जन अधिकारी सिंगरौली के खाते में जमा करने का निर्देश दिया गया। जिसके पालन में उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक डिप्टी/डीओ/327/612/VI दिनांक 23/03/2018 के द्वारा भूमि के अर्जन हेतु परिगणित मूल्य रूपये 208301099/- एवं 10 प्रतिशत प्रशासकीय व्यय की राशि 20830110/- रू0 कलेक्टर महोदय एवं जिला भू-अर्जन अधिकारी जिला-सिंगरौली के पी.डी. खाता में जमा किया गया।

3/- प्रकरण में पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा ग्राम-वरिगवा, तहसील-देवसर में ललितपुर-सिंगरौली रेलवे के निर्माण हेतु

किता 91 रकवा 15.215 हे0 भूमि की मांग की गई। रेलवे द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर उक्त निजी भूमियों के अर्जन की वैधानिक कार्यवाही भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत प्रारम्भ की गई तथा अर्जन किये जाने हेतु आवेदित भूमियों का स्थल निरीक्षण करने एवं अभिलेखीय प्रविष्टियों के आधार पर भौतिक सत्यापन कर नक्शा एवं खसरे की सत्यापित प्रतियों के साथ प्रतिवेदन मगाया गया। तहसीलदार देवसर द्वारा आवेदित भूमियों का स्थल निरीक्षण कर अभिलेखीय प्रविष्टियों के आधार पर भौतिक सत्यापन कर नक्शा एवं खसरा की प्रति उपलब्ध कराई गई।

4/- तहसीलदार देवसर से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार ग्राम-वरिगवां में समाजिक समाघात और लोक प्रयोजन के अवधारणा की आवश्यकता न होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा 1 के अन्तर्गत अधिसूचना तैयार की गई। कलेक्टर सिंगरौली एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के हस्ताक्षर उपरान्त प्रकाशन हेतु नियंत्रक, केन्द्रीय मुद्रणालय म0प्र0 भोपाल को पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 516/भू-अर्जन/2017 दिनांक 16/11/2017 से प्रस्ताव भेजा गया, जिसका प्रकाशन ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' के भाग-1 के पृष्ठ क्रमांक 6346 से 6374 से 6376 पर दिनांक 15/12/2017 को किया गया। उक्त अधिसूचना का प्रकाशन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 11 (1)(ख) के तहत दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया। अधिसूचना के प्रकाशन की प्रति तहसीलदार, तहसील-देवसर को इस निर्देश के साथ भेजी गई कि एक प्रति कार्यालय कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय देवसर, तहसील कार्यालय देवसर के सूचना पटल पर, एक प्रति संबंधित ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर तथा एक प्रति संबंधित ग्राम के सहज दृष्टिगोचर स्थान पर चस्पा कर प्रकाशन कराया जाय तथा प्रकाशन उपरान्त विधिवत पंचनामा

रिपोर्ट प्रेषित करें। तहसीलदार देवसर से विधिवत अधिसूचना के प्रकाशन की रिपोर्ट मय पंचनामें के साथ प्राप्त, जो प्रकरण के साथ संलग्न है। राजपत्र में जारी अधिसूचना की प्रति प्रकरण में संलग्न है। सूचना का प्रकाशन बेबासाईट पर भी अपलोड किया गया।

5/- भू-अर्जन अधिनियम की धारा-11 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन शासकीय राजपत्र तथा दैनिक समाचार पत्रों के प्रकाशन की सूचना उपरान्त अधिनियम की धारा-12 के तहत तहसीलदार तहसील-देवसर को भूमि का प्रारम्भिक सर्वेक्षण करने हेतु नियुक्त किया जाकर जॉच प्रतिवेदन मगाया गया। तहसीलदार देवसर द्वारा पत्र क्रमांक क्यू दिनांक 11/05/2018 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार के प्रतिवेदन अनुसार ग्राम-वरिगवां में धारा-12 के अधीन कराये गये सर्वेक्षण में कोई नुकसानी प्रस्तावित नही की गई।

6/- भू-अर्जन अधिनियम की धारा-11 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन शासकीय राजपत्र तथा दैनिक समाचार पत्रों के प्रकाशन की सूचना के अंतिम दिन से 60 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिनियम की धारा-15 के तहत आपत्तियां आमंत्रित करने का प्रावधान है। तहसीलदार देवसर द्वारा उनके प्रतिवेदन दिनांक 11/05/2018 के अनुसार प्रारम्भिक सर्वेक्षण की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त इस 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। ऐसी स्थित में अधिनियम की धारा-12 के तहत प्रारम्भिक सर्वेक्षण उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। धारा-11 की अधिसूचना प्रकाशन उपरान्त तथा धारा-12 के तहत भूमि का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कराने पर धारा-15 के तहत कोई आपत्ति प्राप्त न होने से अधिनियम की धारा-16, 17 एवं धारा-18 की आवश्यकता न होने के कारण अधिनियम की धारा-19 के तहत घोषणा का प्रकाशन की कार्यवाही प्रचलन के पूर्व उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर एवं मध्य प्रदेश शासन

की ओर से कलेक्टर एवं जिला पुनर्वास अधिकारी जिला-सिंगरौली द्वारा आदर्श पुनर्वास नीति के तहत विस्थापित व्यक्तियों को सर्व सुविधा युक्त पुनर्वास एवं अन्य विषयो से संबंधित शर्तो पर दिनांक 04/07/2018 को इकरारनामा सम्पादित किया गया।

7/- अधिनियम की धारा-11 की अधिसूचना में प्रकाशित भूमियों के संबंध में पुनः तहसीलदार देवसर से जॉच कराने के उपरान्त ग्राम-वरिगवां की आराजी किता 134 रकवा 14.185 हे0 की घोषणा प्रकाशन हेतु अधिनियम की धारा-19 के तहत प्रस्ताव तैयार कर कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के हस्ताक्षर हेतु भेजा गया, जिस पर हस्ताक्षर उपरान्त कलेक्टर महोदय के पत्र पृ0क्र0 क्रमांक 264/भू-अर्जन/2018 दिनांक 30/6/2018 के द्वारा राजपत्र में घोषणा प्रकाशन हेतु नियंत्रक केन्द्रीय मुद्रणालय मध्य प्रदेश मैदामिल रोड़ भोपाल को सूची सहित भेजा गया। जिसका प्रकशन मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण **भाग**-1 में दिनांक 20 जुलाई 2018 को पृष्ठ क्रमांक 4866 से 4873_तक में किया गया तथा दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशन कराया गया। समाचार पत्रों की कतरन प्रकरण में संलग्न है। अधिसूचना के प्रकाशन की प्रति तहसीलदार, तहसील-देवसर को इस निर्देश के तहत भेजी गई कि एक प्रति कार्यालय कलेक्टर जिला-सिंगरौली, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय देवसर, तहसील कार्यालय देवसर के सूचना पटल पर एवं एक प्रति संबंधित ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर तथा एक प्रति संबंधित ग्राम के सहज दृष्टिगोचर स्थान पर चस्पा कर प्रकाशन कराया जाय तथा प्रकाशन उपरान्त विधिवत पंचनामा रिपोर्ट प्रेषित करें।

8/- भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-19 की घोषणा के प्रकाशन के बाद अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत अर्जित की जाने वाली निजी भूमियों की परिसम्पत्तियों एवं भूमियों की माप व सीमांकन कराया गया। अर्जित की जाने वाली निजी भूमियों में मात्र 37 गैर

आवासीय मकान, 611 फलदार/गैर फलदार वृक्ष, पाया गया। मकान का मूल्यांकन उपयंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सिंगरौली से कराया गया। भूमियों का मापन राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी से कराया गया, फलदार वृक्षो का मूल्यांकन उद्यानिकी विभाग द्वारा तथा गैर फलदार वृक्षों का मूलयांकन वन विभाग द्वारा किया गया है। जिसके आधार पर धारा-20 की कार्यवाही के पश्चात् कराये गये माप एवं सर्वे के आधार पर सभी प्रभावित कृषको को स्थल पंचनामा की प्रति उपलब्ध कराई गई। उक्त स्थल पंचनामें में प्रभावित भूमि में स्थित परिसम्पत्तियों का विवरण अंकित किया गया है।

9/- प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम की धारा-20 के पश्चात् धारा-21(1)(2)(3)(4)(5) एवं धारा 22(1)(2) के तहत प्रभावित कृषको एवं सहकृषको को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नोटिस जारी की जाकर विधिवत तामीली उपरान्त तामीली प्रति प्रकरण में संलग्न की गई। सूचना पत्र की एक-एक प्रतियां ग्राम-वरिगवां की चौपाल ग्राम पंचायत भवन तथा तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराई गई। अधिनियम के अन्तर्गत कब्जेदारो तथा अन्य हित रखने वाले व्यक्तियों को भी सूचना पत्र का तामील कराया गया। दिनांक 05/12/2019 को पंचायत भवन पुरवा में कैम्प लगाकर सुनवाई करने की सूचना का प्रकाशन कराया गया। सुनवाई के दौरान कृषको द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को विभागवार पृथक किया जाकर आपत्तियों की जॉच संबंधित विभाग से कराई गई तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन एवं मूल्यांकन पत्रक अनुसार एवार्ड के गणना पत्रक में संसोधित मूल्यांकित राशि सम्मिलित की गई। दिनांक 05/12/2019 को सुनवाई के दौरान प्राप्त आपत्तियों का जॉच प्रतिवेदन संबंधित विभाग से प्राप्त होने के उपरान्त आपित्तयों का निराकरण किया गया। जो आर्डर शीट में दिनांक 23.06.2020 में दर्ज है।

10/- आवेदक द्वारा ग्राम-बरगवां की आराजी किता 91 रकवा 15.215 हे0 के भू-अर्जन किये जाने बाबत् आवेदन किया गया, जिसका परीक्षण तहसीलदार देवसर से कराया गया। परीक्षणोपरान्त भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत अधिनियम की धारा-11 की अधिसूचना का प्रकाशन किया गया, धारा-12 के तहत भूमि का प्रारम्भिक सर्वेक्षण करने पर पाया गया कि आराजी किता 2 रकवा 1.030 हे0 छोड़कर धारा 19 की अधिसूचना प्रकाशन में 14.185 हे0 का प्रकाशन किया गया। इस तरह आराजी किता 134 रकवा 14.185 हे0 का एवार्ड किया जा रहा है। धारा-12 के तहत भूमि का प्रारम्भिक सर्वेक्षण, धारा-19 के तहत घोषणा, धारा-20 के तहत चिन्हांकन, सीमांकन, मापन एवं धारा-21 व 22 के तहत जारी व्यक्तिसः सूचना उपरान्त प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए भू-अर्जन की कार्यवाही की गई। परन्तु अधिनियम की धारा-25 के तहत कलेक्टर धारा-19 के अधीन घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 12 मास की अवधि के भीतर कलेक्टर को अधिनिर्णय पारित करने का अधिकार है। अगर 12 मास के अन्दर अधिनिर्णय पारित नही किया जाता तो कलेक्टर (समुचित सरकार) को 12 माह की अवधि बढ़ाने का अधिकार है। इस प्रकरण में अधिनियम की धारा-19 के तहत घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 20 जुलाई 2018 को किया गया था। ऐसी स्थित में दिनांक 20 जुलाई 2019 को 12 मास की अवधि व्यतीत हो रही थी, जिस पर कलेक्टर (समुचित सरकार) द्वारा आदेश क्रमांक 278/भू-अर्जन/2019 दिनांक 12/07/2019 के द्वारा विधान सभा निर्वाचन एवं लोक सभा निर्वाचन संबंधी आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण भू-अर्जन की कार्यवाही समयावधि में पूर्ण न होने से 12 माह तक की अवधि

बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान की गई है, जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग-1 में दिनांक 26 जुलाई 2019 को पृष्ठ क्रमांक 6218 में किया गया है। प्रतिकर निर्धारण हेतु अधिसूचना प्रकाशन दिनांक से 3 वर्ष पूर्व के बिक्री छाट के औसत एवं कलेक्टर द्वारा पंजीयन हेतु निर्धारित गाइड लाइन में जो राशि अधिक हो उसके आधार पर प्रतिकर राशि का निर्धारण किये जाने का प्रावधान है। ग्राम-बरगवां की 3 वर्ष की औसत बिक्री पंजीयन हेतु निर्धारित गाइड लाइन की राशि से कम होने के कारण वर्ष 2017-18 हेतु पंजीयन हेतु गाइड लाइन के आधार पर प्रतिकर का निर्धारण किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप निम्ननुसार प्रतिकर का निर्धारण किया जा रहा हैः-

11(1)/- **भूमि के प्रतिकर का निर्धारणः-** भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-26 के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमियों के प्रतिकर निर्धारण संबंधी प्रावधान किये गये है। अधिनियम की धारा-26 एवं 27 में प्रतिकर निर्धारण के सिद्धांत दिये गये है। तद्नुसार अर्जित की जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य जो अधिनियम की धारा-11(1) की अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक पर प्रचलित था, उसके आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। धारा-11 की अधिसूचना के समय अर्जित की जा रही भूमि का जो बाजार मूल्य हो उस आधार पर प्रतिकर का निर्धारण किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 15/12/2017 को प्रकाशित की गई थी। प्रकाशन की तिथि को ग्राम-बरगवां की भूमियों के क्रय-विक्रय के पंजीकृत विक्रय विलेख अनुसार उप पंजीयक कार्यालय देवसर से लिये निर्धारित गाइड लाइन वर्ष 2017-18 के अनुसार सिंचित एवं असिंचित भूमि का औसत मूल्य क्रमशः 1985500/- प्रति हैक्टेयर सिंचित एवं 1045000/- प्रति हैक्टेयर असिंचित निर्धारित किया गया है। साथ ही ग्रामीण

क्षेत्रों के लिये 0.03 हे0 यानी 300 वर्गमीटर तक की भूमियों का बाजार मूल्य वर्गमीटर के आधार पर किये जाने का प्रावधान किया गया है। ग्राम-बरगवां की 0.03 हे0 तक की भूमियों का प्रतिकर 1500 रू0 प्रति वर्गमीटर की दर से निर्धारित किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थित में ग्राम-बरगवां की अर्जित की जा रही आराजी किता 134 रकवा 14.185 हे0 का अर्जन किया जा रहा है। जिसमें रकवा 4.408 हे0 सिंचित एवं रकवा 8.980 हे0 असिंचित तथा 0.797 हे0 का वर्गमीटर के आधार पर प्रतिकर का निर्धारण किया गया।

11(2)/- वृक्षों के प्रतिकर का निर्धारणः- ग्राम-बरगवां की अर्जित की जा रही भूमियों पर 584 गैर फलदार का प्रतिकर 1223971 एवं 22 फलदार वृक्षों का प्रतिकर 145354 निर्धारित किया गया है। इस प्रकार कुल 606 वृक्षों का कुल प्रतिकर राशि रूपये 1369325/- रूपये निर्धारित किया गया है।

11(3)/- कूप के प्रतिकर का निर्धारणः- ग्राम-बरगवां की अर्जित की जा रही भूमियों पर कोई कूप स्थित न होने कूप के प्रतिकर का निर्धारण नही किया गया है।

11(4)/- हैण्ड पम्प/बोर के प्रतिकर का निर्धारणः- ग्राम-बरगवां की अर्जित की जा रही भूमियों पर कोई हैण्ड पम्प/बोर स्थित न होने से हैण्ड पम्प/बोर के प्रतिकर का निर्धारण नही किया गया है।

11(5)/- मकान के प्रतिकर का निर्धारणः- ग्राम-बरगवां की अर्जित की जा रही भूमियों पर 35 मकान पाया गया। जिसका मूल्यांकन उपयंत्री से कराया गया। उनके द्वारा प्राप्त मूल्यांकन अनुसार मकान का मूल्यांकन 15055798/- रू0 निर्धारित किया गया।

11(6)/- मेड़, गटौर एवं बांध के प्रतिकर का निर्धारणः- मेंड़, गटौर एवं बांध के मूल्य का निर्धारण हेतु 0.00 मीटर के ऊपर 0.99 मीटर तक की ऊचाई तक का मूल्यांकन 41218/- रू0 प्रति हैक्टेयर की दर पर तथा 1.00 मीटर के ऊपर की ऊचाई की मेड़ को बांध

माना जाकर उसका मूल्यांकन 70.80 प्रति घन मीटर की दर से किये जाने का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत ग्राम-बरगवां में अर्जित भूमि पर स्थित मेड़ गटौर का मूल्यांकन 584677/- रू0 निर्धारित किया जाता है।

12/- ब्याज एवं सोलेशियम की राशि का निर्धारणः- भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-30(1)(2)(3) के अनुसार जमीन के बाजार मूल्य के अतिरिक्त धारा-11 की अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से एवार्ड दिनांक तक या जमीन का कब्जा लिये जाने की तिथि तक जो पूर्व की स्थित हो उस अवधि के लिये बाजार मूल्य पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की जावेगी। साथ ही धारा-11 के प्रकाशन की तिथि दिनांक 15/12/2017 से दिनांक 25/07/2020 तक कुल 953 का 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज की राशि 14748408/- रू0 होती है। धारा-30(1) के अनुसार 100 प्रतिशत तोषण (सोलेशियम) की राशि 47072130/- रू0 होती है। इस प्रकार अर्जित भूमि एवं उस पर स्थित समस्त परिसम्पत्तियों का कुल प्रतिकर 108892668/- रू0 (शब्दो में - दस करोड़ अट्ठासी लाख बान्नवे हजार छह सौ अड़सठ रुपये मात्र) निर्धारित किया जाता है। व्यक्तिवार प्रतिकर की राशि का विवरण एवार्ड के साथ संलग्न गणना पत्रक में अंकित किया गया है, जो एवार्ड का अभिन्न अंग होगा।

-:: <u>एवार्ड निर्धारण पत्रक</u> ::-

क्र0	भूमि एवं परिसम्पत्तियों का प्रकार	रकवा/ तादात	एवार्ड की राशि
1	भूमि सिंचित	4.408	8752084/-
2	भूमि असिंचित	8.980	9384100/-
3	भूमि व्यपवर्तित	0.000	0
4	भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग	0.000	0
5	भूमि राजमार्ग	0.000	0
6	भूमि ग्रामीण मार्ग	0.000	0
7	भूमि द्विफसली	0.000	0
8	भूमि छोटा भू-खण्ड/वर्गमीटर	0.797	11955000/-

10	मेड़, गटौर एवं बांध	0	584677/-
11	गैर फलदार/फलदार वृक्ष	606	1340471/-
12	मकान (आवासीय/गैरआवासीय)	35	15055798/-
13	कूप	0	0/-
14	हैण्ड पम्प/बोर	0	0/-
	योग :-		47072130/-
	953 दिन तक के 12 प्रतिशत ब्याज की राशिः-		14748408/-
	100 प्रतिशत सोलेशियम राशि		47072130/-
	महायोग		108892668/-

मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार कुल प्रतिकर राशि पर 10 प्रतिशत प्रशासकीय व्यय के रूप में राशि देय होगी। अतः इस प्रकरण में एवार्ड की राशि रूपये 108892668/- रू0 (दस करोड़ अट्ठासी लाख बान्नवे हजार छः सौ अड़सठ रूपये मात्र) तथा इस पर 10 प्रतिशत के मान से 10889266/- (एक करोड़ आठ लाख नवासी हजार दो सौ छाछठ रूपये मात्र) संबंधित विभाग को देय होगा। इस प्रकार आवेदक को कुल 119781934/- (ग्यारह करोड़ सन्तान्नवे लाख इक्यासी हजार नौ सौ चौंतिस रूपये मात्र) देय होगा।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत कलेक्टर को समुचित सरकार घोषित किया गया है। जिसके कारण एवार्ड पारित करने की अधिकारिता कलेक्टर महोदय को है। ग्राम-बरगवां की कुल एवार्ड राशि 108892668/- रू0 है। जिसका अनुमोदन करने की अधिकारिता कलेक्टर महोदय को है। ऐसी स्थिति में प्रकरण एवार्ड के राशि अनुमोदन हेतु कलेक्टर महोदय की ओर सादर सम्प्रेषित है।

भू-अर्जन अधिकारी
देवसर, जिला-सिंगरौली (म0प्र0)

कलेक्टर महोदय सिंगरौली

" खाता क्र० 39 एवं 60 को समुचित जाँच के अधीन रखते हुए अवार्ड अनुमोदित। "

कलेक्टर